

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम धारा 102 और 196 के तहत निजी/स्वयंसेवी संस्थाओं की सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाली सूचनायें

1. प्रार्थी संस्था का नाम
2. आवंटन का प्रयोजन
3. संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण।
4. पूर्व में आवंटित भूमि का क्या उपयोग किया गया है?
5. आवंटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण
  - (1) नाम तहसील
  - (2) नाम ग्राम
  - (3) खसरा नम्बर
  - (4) किस्म भूमि
  - (5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल
  - (6) प्रस्तावित क्षेत्रफल
  - (7) जमाबन्दी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है
  - (8) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं
  - (9) पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें।
6. यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो—
  - (1) पशु संख्या
  - (2) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात् ग्राम में उपलब्ध चरागाह भूमि
  - (3) क्या पशु संख्या के अनुपात में चरागाह भूमि पर्याप्त है
  - (4) यदि नहीं तो चरागाह की क्षतिपूर्ति के लिये क्या विकल्प है।
7. प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता पर टिप्पणी।
8. राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के नियम 2 के तहत प्रस्तावित प्रयोजन हेतु अतधिकतम आवंटन योग्य क्षेत्रफल
9. प्रस्तावित भूमि यदि इससे अधिक है तो अधिक भूमि के आवंटन के औचित्य पर टिप्पणी
10. प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विस्तृत परियोजना संलग्न है? जी हां/नहीं
11. स्थानीय निकाय/नगरपालिका/ग्राम पंचायत क्या आवंटन से सहमत है? जी हां/नहीं
12. नगरीय क्षेत्रों में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की राय संलग्न करें, सहमत है या नहीं है। जी हां/नहीं
13. क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है? जी हां/नहीं
14. क्या संस्था रजिस्ट्रार (सहकारी समिति) अथवा देवस्थान विभाग द्वारा पंजीकृत है? जी हां/नहीं
15. पंजीकरण क्रमांक एवं तिथि (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
16. क्या संस्था पंजीकरण के पश्चात् से ही निरन्तर कार्यरत है।
17. क्या संस्था का विधान बना हुआ है (विधान की प्रति संलग्न करें)
18. जिस प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है क्या वह

- संस्था के विधान में उल्लिखित उद्देश्यों के अन्तर्गत आता है? जी हां/नहीं
19. संस्था का कार्य क्षेत्र
  20. संस्था की वर्तमान गतिविधियों और पूर्व में किये गये कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी।
  21. संस्था के वित्तीय स्रोत और जिस प्रयोजन के लिये भूमि चाही जा रही है, उसे पूर्ण करने के लिये उपलब्ध वित्तीय साधनों पर टिप्पणी
  22. क्या संस्था का ऑडिट समय-समय पर किया जाता है
  23. क्या गत वर्ष की आडिट प्रति संलग्न है?
  24. संस्था की आम शोहरत पर टिप्पणी
  25. यदि स्कूल के प्रयोजन से आवंटन चाहा गया है तो क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है?
  26. भूमि की प्रचलित बाजार दर
  27. क्या संस्था रियायती दर पर भूमि आवंटन को सहमत है?
  28. जिला कलेक्टर की टिप्पणी

हस्ताक्षर जिला कलेक्टर